किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) प्र0 संख्या 80 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.2025	तहसीदार करेडा द्वारा विपक्षी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली को पंजीबद्ध करने से पूर्व परीक्षण किया गया। बाद परीक्षण पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम धुंवाला (क) की आवंटित आराजी संख्या 4066 / 4059 रकबा 0.5059 हैक्ट. किस्म बंजड अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने से, अप्रार्थी उक्त जायदाद को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो सकता हैं। जिससे मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना को मध्येनजर रखते हुये विपक्षीं को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि, ग्राम धुंवाला (क) की आवंटित आराजी संख्या 4066 / 4059 रकबा 0.5059 हैक्ट. किस्म बंजड भूमि को रहन विकय बक्षीस नही करे व न ही करावें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार करेडा / उप पंजीयक करेडा को तहरीर मय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की प्रति जारी की जावे। प्रकरण पंजीबद्ध करें। विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी करें। प्रकरण तलबी हेतु दिनांक 07.01.2026 को पेश हो। 12.12.25 अति0 जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
07/01/26	पत्रावली पेश हुई। राजकीय पक्ष उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा पूर्व प्रेषित अधिकार पत्र शामिल पत्रावली होकर उपस्थित। पत्रावली विपक्षी के जवाब हेतु 21/01/2026 को पेश हो। 7.1.26 अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
09/1/26	माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के पत्रावली तलबी पत्र के क्रम में यह पत्रावली [illegible] से तलब की गई। मान० राजस्व मण्डल राज० अजमेर के निर्देशानुसार यह पत्रावली मूल ही मान० न्यायालय को प्रेषित की जावे। मान० न्यायालय के निर्णयानुसार भविष्य में कार्यवाही की जावेगी। तब तक पत्रावली नंबर से कम करें। 9.1.26 अति जिला कलक्टर भीलवाड़ा	